

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 186\*  
31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

**गोवा में खनन कार्य पर प्रतिबंध**

**\*186. श्री संजय सिंह:**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा में खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाने के कारण छह लाख से अधिक लोगों की आजीविका चली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या विधायी उपाए किए गए हैं अथवा इस समस्या के समाधान हेतु कौन सी कार्य-योजना बनाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है, ताकि गोवा में खनन कार्य पुनः आरंभ किए जा सके?

**उत्तर**

**खान, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री**  
**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

श्री संजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा 'गोवा में खनन कार्य पर प्रतिबंध' के संबंध में दिनांक 31.12.2018 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 186\* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : गोवा फाउंडेशन बनाम मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड और अन्य के मामले में वर्ष 2015 की विशेष अनुमति अपील (सिविल) सं. 32138 के साथ 2015 की एसएलपी (सी) सं. 32699-32727, 2015 की रिट याचिका (सी) सं. 711 और 2015 की रिट याचिका (सी) सं. 720 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 07.02.2018 के निर्णय द्वारा गोवा राज्य में 88 खनन पट्टों के द्वितीय नवीकरण को रद्द कर दिया था और सभी खनन प्रचालनों को 16 मार्च, 2018 से रोकने का निदेश दिया जब तक कि नए खनन पट्टे न दे दिए जाए। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीनस्थ कार्यालय, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में गोवा राज्य में किसी भी प्रमुख खनिज हेतु कोई भी खनन कार्यकलाप नहीं हो रहा है। गोवा सरकार ने यह बताया है कि खनन प्रचालनों के बंद हो जाने के कारण बड़ी संख्या में रोजगार की हानि हुई है।

(ख) से (ग) : गोवा राज्य सरकार से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ताकि खनन प्रचालनों के बंद होने के कारण राज्य सरकार के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके। उक्त प्रस्ताव खान मंत्रालय में जांच के अधीन है।

\*\*\*\*\*